Modernisation Programme of Chittaranjan Locomotive Works

3728. SHRI P. M. SAYEED:

SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Chittaranjan Locomotive works has launched a large-scale modernisation programme which is to be completed during 1980;

(b) if so, the details of the proposed programme;

(c) the extent to which the proposed scheme will reduce the diesel locomotive manufacturing period; and

(d) what will be the other benefits derived out of this?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) The scheme for modernisation of the Chittaranjan Locomotive Works was included in the Works Programme, 1979-80 and the work is in progress. It is expected to be completed by 1982-83. subject to the availability of adequate funds in the successive years.

(b) The modernisation programme envisage an investment of Rs. 7.33 crores. The bulk of the investment will go towards procurement and installation of new machines. 150 machines are planned for procurement, out of which 40 will be imported special purpose machines.

(c) Reduction in cycle time for the manufacture of Diesel Locomotives is expected to be about 15 per cent after the Modernisation Programme has been put through.

(d) The cycle time for the manufacture of Electric Locomotive is also expected to get reduced by about 15 per cent. In adition, the production of Traction Motors, Cylinder Heads and Cylinder Liners is expected to increase by about 10 per cent due to improvements in machining process and better internal movement.

Power shortage affects production of Locomotives

3729. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recent power shortage has affected the production of locomotives;

(b) if so, what has been the production of these during the last six months; and

(c) whether Government have taken any steps to increase its production?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Due to Electric power shortage in different parts of the country, supply of vital components by vendors situated in public/private sector to Chittaranjan Locomotive Works (CLW) has been seriously affected. The situation got further compounded due to CLW's own Electric Power Supply from Damodar Valley Corporation (DVC) deteriorating since May, 1979.

Similarly, output of Diesel Locomotives from Diesel Loco Works, Varanasi (DLW) suffered a set-back due to inadequate supply of traction equipment by BHEL/Bhopal, reportedly on account of Electric power supply restrictions.

(b) The production of Electric Locomotives at CLW during the year 1979-80 was 51 against a target of 60 resulting in a shortfall of 9 locomotives in annual production. Similarly 37 Diesel Locomotives could not be got ready and despatched from DLW during 1979-80 due to short supply of electrical equipment by BHEL and due to delay in shipments of imported balance equipment.

Production of Locomotives during the last 6 months i.e. January to June

1980 has been 50 from CLW and 70 from DLW.

(c) With the increase in hydel generation, it is expected that Electric power supply position will improve in the coming months. With improved supply of equipment by BHEL and other vendors, shortfalls of 1979-80 in Locomotive Production are proposed to be made good during the current year (1980-81). The concerned Power Supply Authorities have also been urged at all levels to supply full power to Railways Workshops. In addition standby generating sets are being arranged for the Workshops.

मैसर्स विनोद मिल्स लिमिटेड और मेसर्स विमल टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, उज्जैन द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि का जमा कराया जाना

3730. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री मैसर्स विनोद मिल्स लिमिटेड और मैसर्स विमल टक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, उज्जैन द्वारा भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि जमा कराये जाने के बारे में 20 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स विनोद मिल्स लिमिटेड और विमल टैक्सटाइल मिल लिमिटेड, उज्जैन (मध्य प्रदेश) पर भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया): जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है, बकाया राशि को वसूल करने के लिए की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है :—

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन :

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14(2) के अधीन नियोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी जारी किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अधिनियम की धारा 17(1) (क) के अधीन छूट प्रदान करने के, जो रद्द कर दी गई थी, प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम :

(*i*) **मैसर्स विनोद मिल्स, लिमिटेड, उज्जैन।**

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45-ख के अधीन मई, 1979 से सितम्बर, 1979 तक की अवधि के लिए बकाया अंशदानों और कुछ पिछली अवधि के लिए अंशदानों की देरी से अदायगी हेतु ब्याज के लिए वसूली कार्यवाही की गई है। नवम्बर, 1979 और मार्च 1980 को समाप्त हुई अवधियों के लिए अंशदानों की अदायगी न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 85 के अधीन नियोजक के विरुद्ध अभियोजन मामला भी दायर किया जा रहा है।

(*ii*) **मैसर्स विमल टैक्सटाइल लि०, उज्जैन :**

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 45-ख के अधीन मई, 1979 से मार्च, 1980 तक की अवधि के लिए बकाया अंशदानों, इसमें जनवरी, 1980 का अंशदान शामिल नहीं है जिसके लिए पहले ही अंशदानों का भुगतान किया जा चुका है, और अंशदानों की देरी से अदायगी हेतु ब्याज के लिए वसूली कार्यवाही शुरू की गई है। अधिनियम की धारा 85 के अधीन नियोजन के विरुद्ध अभियोजन मामला भी दायर किया जा रहा है।

रायल पेपर स्टोर, बम्बई पर बकाया भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि

3731. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत रायल पेपर स्टोर, 187, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई-2, द्वारा कितनी राशि जमा कराई गई थी और इसकी कितनी राशि अभी बकाया है ; और

(ख) इस बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख). कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सूचित किया है कि यह प्रतिष्ठान क्रमशः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नहीं आता, क्योंकि उनके द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या बीस से कम है। अतः बकाया राशि वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।